



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील (त्रुटिपूर्ण) सं. – 52/2024

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, अधिशासी अभियंता,

यांत्रिक प्रभाग, लो० नि० वि०, लखनऊ

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

सूर्य पाल @ सूरज पाल यादव और अन्य

.....प्रतिवादीगण(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मु० स्था० अ०

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : अजमल खान, दीपक कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार,
राकेश कुमार शर्मा

न्यायालय संख्या - 20

माननीय न्यायमूर्ति, प्रशांत कुमार

विविध आवेदन संख्या 1/2024

1. यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु है।
2. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत आदेश के विरुद्ध यह विलंबित प्रथम अपील, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (दक्षिण), लखनऊ द्वारा मो.दु.दा.अधि. संख्या 12/2015 (सूर्य पाल उर्फ सूरज पाल यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 10.08.2021 को पारित निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध; तथा विविध वाद संख्या 204 ग/2022 (लो.नि.वि. बनाम सूर्य पाल और अन्य में दिनांक 03.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. कार्यालय ने इस अपील को दायर करने में 689 दिनों की देरी की सूचना दी है।

4. विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिए गए कारण निम्नलिखित हैं—

3. यह कि जब पंचाट पारित किया गया था, तब कोविड-19 महामारी जारी थी, और महामारी की लगातार बनी हुई स्थितियों के कारण अधिवक्ता को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी; अतः अपीलकर्ताओं को अधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही के बारे में, और न ही अधिकरण द्वारा पारित पंचाट के बारे में कोई जानकारी थी। अपीलकर्ताओं को पंचाट के बारे में जानकारी केवल 10.08.2022 को तब मिली, जब लखनऊ के तहसीलदार की ओर से कार्यालय में पंचाट के विरुद्ध राशि की वसूली की मांग प्राप्त हुई।

4. यह कि पंचाट के बारे में पता चलते ही, अपीलकर्ता ने तुरंत अपने अधिवक्ता से संपर्क किया; और पंचाट के बारे में जानकारी मिलने पर, आदेश 9 नियम 13 दीवानी प्रक्रिया संहिता. (सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.) के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया। इस प्रार्थना पत्र में मो०दु०दा०अधि० की कार्यवाही/परीक्षण के दौरान अधिवक्ता के उपस्थित न हो पाने के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और कारणों का स्पष्टीकरण दिया गया था। परंतु, विद्वान अधिकरण ने दिनांक 03.05.2023 के आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।

5. कि दिनांक 03.05.2023 के आदेश की प्रति दिनांक 27.05.2023 को प्राप्त होने के तुरंत बाद, दिनांक 27.07.2023 के पत्र के माध्यम से, मामले में राय लेने हेतु इसे विभागीय विधि अधिकारी के पास भेजा गया; जिन्होंने दिनांक 02.08.2023 के पत्र द्वारा यह राय दी कि मामले को विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पास राय हेतु भेजा जाए। इसी के दृष्टिगत, दिनांक 11.08.2023 के पत्र द्वारा मामले को विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पास राय हेतु भेजा गया, जो कि दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात, दिनांक 08.09.2023 को मामले



को सरकार के प्रशासनिक विभाग के पास, और फिर विधि विभाग के पास भेजा गया; जिसके उपरांत, दिनांक 18.01.2024 के आदेश द्वारा अपील दायर करने हेतु 'मुकदमा लड़ने की अनुमति' प्रदान/जारी की गई। और दिनांक 18.01.2024 के आदेश के आलोक में, दिनांक 27.01.2024 के पत्र द्वारा अपील दायर करने हेतु मामले को पुनः विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पास भेजा गया; और फिर विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 03.01.2024 को, aआदेश के विरुद्ध प्रथम अपील तैयार करने हेतु इस मामले को स्थायी अधिवक्ता को आवंटित किया।

6. कि फ़ाइल प्राप्त होने के बाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने मामले का अध्ययन किया और आगे की आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़ मंगवाए, जिसके अनुपालन में आवश्यक जानकारी 01.02.2024 को और फिर 04.03.2024 के पत्र के बाद 06.03.2024 को उपलब्ध कराई जा सकी; तत्पश्चात उन्होंने मामले का और अध्ययन किया और 15.03.2024 को aआदेश के विरुद्ध प्रथम अपील लिखवाया, जिसे 17.03.2024 को अंतिम रूप दिया जा सका।

7. कि आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील, साथ ही अंतरिम अनुतोष के लिए प्रार्थना पत्र और देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र, 17.03.2024 को लिखवाया और तैयार किया जा सका। अतः, आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील को इस आवेदन के साथ, बिना किसी और देरी के, माननीय न्यायालय के सादर विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील दायर करने में विलंब हुआ है, और विलंब के कारणों को, विलंब क्षमा हेतु आवेदन के समर्थन में दायर शपथ-पत्र में भली-भांति स्पष्ट किया गया है।

6. उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस देरी का कारण जान-बूझकर की गई कोई चूक नहीं है, बल्कि यह अपीलकर्ताओं की ओर से मौजूद नौकरशाही व्यवस्था के कारण हुई है। अतः, इस प्रकार हुई देरी को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि यहाँ एक अवैयक्तिक नौकरशाही व्यवस्था शामिल



है, क्योंकि यह एक सरकारी विभाग है; इसलिए, सरकार को किसी आम व्यक्ति के समान ही नहीं माना जाना चाहिए।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
8. अपील दायर करने में हुई देरी को माफ़ करने के आवेदन के समर्थन में दायर शपथ पत्र को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने देरी को सही ठहराने की कोशिश की है; हालाँकि, संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बजाय, यह केवल एक बहाना प्रतीत होता है।
9. आगे बढ़ने से पूर्व, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :-

5. विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण- कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

स्पष्टीकरण- यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा।

10. मियाद अधिनियम की धारा 5 को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ़ पता चलता है कि तय समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते अपीलकर्ता न्यायालय को यह यकीन दिला दे कि उसके पास तय समय के भीतर अपील न करने का कोई ठोस कारण था। ठोस कारण साबित करने की ज़िम्मेदारी अपीलकर्ता पर होती है, जो देरी की माफ़ी चाहता है; उसे यह साबित करना होता है कि न्यायालय का दरवाज़ा न खटखटाने के उसके कारण असली, नेकनीयत और किसी भी तरह की लापरवाही से मुक्त थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'लंका वेंकटेश्वरुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' (मनु/एस.सी./0153/2011) के मामले में, अपील दायर करने में हुई देरी को माफ़ करने के लिए उच्च न्यायालय की आलोचना की। यह देरी किसी ऐसी परिस्थिति के कारण नहीं हुई थी जिसे टाला न जा सके, बल्कि यह संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं की घोर अक्षमता और अयोग्यता का परिणाम थी; और इसे केवल इसलिए माफ़ कर दिया गया था, क्योंकि देरी की माफी चाहने वाला पक्ष स्वयं 'राज्य' था।

12.इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पोस्टमास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य' के मामले में (2012) 3 एस.सी.सी. 563 में यह निर्णय दिया है कि राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि उनके लिए परिसीमा की अवधि अलग है; और किसी उचित तथा स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, केवल इसलिए कि सरकार या उसकी कोई संस्था न्यायालय के समक्ष एक पक्ष है, यांत्रिक तरीके से देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि विभाग पिछले निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता और न ही 'अवैयक्तिक कार्यप्रणाली' या 'विरासत में मिली नौकरशाही कार्यप्रणाली' अथवा 'अनेक टिप्पणियाँ' बनाने के आधार पर कोई दावा कर सकता है, क्योंकि अब आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। परिसीमा का कानून सरकार सहित, सभी पर समान रूप से लागू होता है।

13.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का विचार 'महाराष्ट्र राज्य (जल संसाधन विभाग), द्वारा कार्यपालक अभियंता ' बनाम 'बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड' (2021) 6 एस.सी.सी. 460 में दोहराया था। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पोस्टमास्टर जनरल' (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए यह निर्णय दिया कि विलंब की माफी के लिए कोई अलग मापदंड केवल इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सरकार शामिल है। इस संबंध में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं: -

“59. इसी प्रकार, केवल इस आधार पर कि इसमें सरकार शामिल है, विलंब की माफी के लिए कोई भिन्न मापदंड निर्धारित नहीं किया जा



सकता। इस बात को 'पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड' के मामले में अत्यंत उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया गया था।”

प्रभाव वर्धित किया गया।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'ओडिशा राज्य और अन्य बनाम सुनंदा महाकुडा' (2021) 11 एस.सी.सी. 560 मामले में यह निर्णय दिया है कि देरी की माफी से जुड़े मामलों में, नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण राज्य और उसकी संस्थाओं को पहले जो छूट प्राप्त थी, वह अब तकनीकी प्रगति और न्यायशास्त्र में आए बदलावों को देखते हुए उपलब्ध नहीं है; जैसा कि 'पोस्टमास्टर जनरल' (उपर्युक्त) मामले में स्पष्ट किया गया है।

15. इसी तरह, *उ० प्र० राज्य बनाम सभा नारायण* मामले में, जो (2022) 9 एस.सी.सी. 266 में प्रकाशित हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य और उसकी एजेंसियों की उस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की है, जिसमें वे यह मानकर चलते हैं कि वे अपनी सुविधा और मर्जी से कभी भी न्यायालय जा सकते हैं—और ऐसा करते हुए वे कानून द्वारा तय की गई समय सीमा की अनदेखी करते हैं—मानो कि समय सीमा से जुड़ा कानून उन पर लागू ही नहीं होता। न्यायालय ने यह फैसला दिया कि सरकार या सार्वजनिक अधिकारियों को उनकी काम-काज से जुड़ी स्वाभाविक कमियों के चलते जो थोड़ी-बहुत ढील कभी दी जाती थी, वह अब सामान्य नियम नहीं रह गई है; खासकर *पोस्टमास्टर जनरल* (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले के बाद तो बिल्कुल भी नहीं।

16. इस न्यायालय को विलंब की माफी के लिए पर्याप्त 'स्पष्टीकरण' देखना है, न कि विलंब को माफ करने के लिए 'बहाने', जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'शेओ राज सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' (2023) 10 एस.सी.सी. 531 के मामले में निर्णय दिया है। प्रासंगिक प्रस्तर 31 और 32 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

31. कभी-कभी, पर्याप्त कारण न बताए जाने या कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, बहुत थोड़ी सी देरी को भी माफ नहीं किया जा सकता; जबकि, कुछ अन्य मामलों में, लंबी अवधि की देरी को भी माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि दिया गया स्पष्टीकरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतोषजनक और स्वीकार्य हो। बेशक, अदालतों को "स्पष्टीकरण" और "बहाने" के बीच अंतर करना चाहिए। एक "स्पष्टीकरण" का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सभी तथ्य बताना और किसी घटना के पीछे का कारण स्पष्ट करना होता है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद करता है और व्यक्ति को यह बताने का अवसर देता है कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है—बशर्ते कि वास्तव में उसकी कोई गलती न हो। हालाँकि, "स्पष्टीकरण" और "बहाने" के बीच अंतर करने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। यद्यपि लोग अक्सर "स्पष्टीकरण" और "बहाने" को एक ही चीज़ मानते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है—जो भले ही बहुत सूक्ष्म हो, लेकिन वास्तविक है।

32. जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, तो वह अक्सर अपनी ज़िम्मेदारी और उसके नतीजों से बचने के लिए कोई "बहाना" बनाता है। यह एक तरह की बचाव की कार्रवाई होती है। किसी बात को महज़ "बहाना" कहना, इस बात का संकेत है कि दी गई सफ़ाई को सच नहीं माना जा रहा है। फिर भी, ऐसा कोई एक सिद्धांत नहीं है जो सभी स्थितियों पर लागू हो सके; इसलिए, देरी को माफ़ करने का हर मामला—चाहे वह देरी का कोई ठोस कारण होने या न होने पर आधारित हो—उसके अपने तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। इस मोड़ पर, हम इस बात पर अफ़सोस जताए बिना नहीं रह सकते कि लंबी देरी को माफ़ करने के लिए अक्सर "बहानों" को ही स्वीकार कर लिया जाता है, न कि सही "सफ़ाइयों" को। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनहित की रक्षा उन छिपी हुई ताकतों से की जा सके, जिनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी सही और योग्य दावा फ़ैसले के लिए ऊपरी अदालतों तक पहुँच ही न पाए।

(प्रभाववर्धित किया गया)

17.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) बनाम कर्नाटक आवास बोर्ड और अन्य, 2025 एस.सी.सी.ऑनलाइन एस.सी. 1969 के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"210. ऊपर कही गई बातों से यह समझा जा सकता है कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी से जुड़ा कानून, खासकर जहाँ राज्य या उसकी कोई संस्था शामिल हो, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जहाँ राज्य को उसकी नौकरशाही की पेचीदगियों और संस्थागत सुस्ती के आधार पर विशेष सहूलियत दी जाती थी, वहीं अब कानून इस तरह विकसित हुआ है कि वह सरकार और निजी वादियों के बीच बराबरी पर ज़ोर देता है। इसका तर्क यह है कि जनहित की बेहतर सेवा सरकारी अक्षमता को नज़रअंदाज़ करके नहीं, बल्कि सार्वजनिक मुकदमों के संचालन में जवाबदेही, तत्परता और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देकर की जा सकती है।"

230. सरकार के लिए देरी की माफी को एक सामान्य बात बनने देना, संस्थागत अक्षमता को बढ़ावा देने जैसा हानिकारक प्रभाव डालेगा। असल में, यह आलस को बढ़ावा देगा और एक ऐसा माहौल पैदा करेगा जहाँ देरी के लिए जवाबदेही समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार को यह पक्का भरोसा हो जाए कि उसकी गलतियों को "जनहित" के नाम पर हमेशा माफ़ कर दिया जाएगा, तो उसके अधिकारियों के पास सतर्कता से काम करने का, या उसकी एजेंसियों के पास समय पर कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का कोई खास प्रोत्साहन नहीं बचेगा। इसका परिणाम जनहित की भलाई नहीं, बल्कि जनहित के साथ विश्वासघात होगा।

232. इसलिए, इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि मार्गदर्शक सिद्धांत सरकारी उदासीनता की सुरक्षा नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार शासन को बढ़ावा देना है। राज्य का यह एक उच्च कर्तव्य है कि वह समय पर कार्रवाई करे, क्योंकि हर उस मामले में जिसमें वह मुकदमा लड़ता है, वह अपनी निजी हैसियत से नहीं, बल्कि लोगों के हितों के संरक्षक के रूप में ऐसा करता है। इसलिए, नौकरशाही की अक्षमता के आधार पर देरी को बार-बार माफ़ करना, परिसीमा अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही कमज़ोर करने जैसा होगा; ये कानून हर सभ्य न्यायक्षेत्र में मामलों के अंतिम निपटारे, निश्चितता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



249. एक बार जब राज्य मुकदमा लड़ने का फैसला कर लेता है, तो उसे भी वही जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं और उन्हीं सीमाओं का पालन करना पड़ता है, जो प्रत्येक वादकारी पर लागू होती हैं। राज्य को देरी के परिणामों से बचने की अनुमति देना—इस ऊपरी बहाने पर कि गलती तो अलग-अलग अधिकारियों की थी—परिसीमा-कानूनों की सख्ती को कम करने और उनके मूल उद्देश्य को ही कमजोर करने जैसा होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल निजी पक्षों की तुलना में राज्य को अनुचित रूप से विशेष दर्जा देगा, बल्कि प्रशासन के भीतर उदासीनता और गैर-जिम्मेदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।

261. अतः, ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इस फैसले को निरस्त करने से पहले, हम यह पूरी तरह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही कभी भी देरी को माफ़ करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती; और हम सभी उच्च न्यायालय को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं कि तुच्छ और सतही आधारों पर देरी को माफ़ नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई उचित और पर्याप्त कारण सामने न आ जाए—जिसमें सरकारी तंत्र यह साबित कर सके कि उसने नेकनीयती से काम किया और पूरे समय सतर्क रहा। जैसा कि मशहूर कहावत है, प्रक्रिया न्याय की सेविका होती है। लेकिन अदालतों को—और विशेष रूप से संवैधानिक अदालतों को—मुकदमा लड़ने वाली किसी सरकारी एजेंसी के लिए प्रक्रिया की अनदेखी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वह एजेंसी भी अपनी ही ढुलमुल रवैये के कारण मुकदमों को आगे बढ़ाने में समय-सीमा की बाधाओं का उतना ही सामना करती है।

262. उच्च न्यायालयों को राज्य के अधिकारियों या उनकी एजेंसियों के ऐसे संवेदनहीन रवैये को सही नहीं ठहराना चाहिए, और उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब देरी की माफी मांगने वाला पक्ष कोई सरकारी संस्था हो। उन्हें राज्य की लापरवाही और सुस्ती का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक अदालतों को किसी आम वादकारी की उदासीनता और तकलीफों का ध्यान रखना चाहिए। वादकारियों को ऐसी स्थितियों में नहीं डाला जा सकता जहाँ उन्हें



हमेशा मुकदमे ही लड़ते रहना पड़े, और जहाँ उनके फैसलों या उनके पक्ष में आए आदेशों का फायदा उन्हें बाद के चरणों में मिल ही न पाए। हमें इस लगातार चली आ रही प्रवृत्ति को दोहराते हुए और सभी उच्च न्यायालयों को यह हिदायत देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वे बहुत ज़्यादा देरी वाले मामलों को तब तक दोबारा न शुरू करें, जब तक कि कोई ठोस वजह न हो; क्योंकि ऐसा करने से अदालतें तो बस जले पर नमक छिड़कने का काम करती हैं—खासकर सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत दायर अपीलों में, जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही केवल 'कानूनी सवालों' तक सीमित होता है।

(प्रभाववर्धित किया गया)

18.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई फैसलों में तय किए गए सिद्धांतों को देखते हुए, यह साफ़ है कि राज्य या उसकी संस्थाओं को किसी भी आम व्यक्ति के बराबर ही माना जाना चाहिए; उनके लिए 'समय-सीमा का कानून' अलग नहीं हो सकता। देरी माफ़ करने के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, सबसे ज़रूरी बात यह देखना है कि क्या "पर्याप्त कारण" बताया गया है। हालाँकि, जिन मामलों में सरकारी कामकाज में ढिलाई शामिल होती है, वहाँ न्यायालय को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या देरी के लिए कोई सही और पर्याप्त सफ़ाई दी गई है, या फिर यह सिर्फ़ एक बहाना है। हालाँकि ये दोनों बातें कभी-कभी एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन एक 'वास्तविक स्पष्टीकरण' और महज़ एक 'बहाने' के बीच एक बारीक अंतर होता है, जिसे अपील करने वाले को संतोषजनक ढंग से साबित करना ज़रूरी होता है।

19.देरी की माफ़ी के लिए दायर प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिए गए शपथ पत्र को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि आक्षेपित निर्णय 10.08.2021 को सुनाया गया था, और उसके बाद सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिसे 03.05.2023 को निरस्त कर दिया गया। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता को 27.05.2023 को प्रमाणित प्रति मिली, जिसके बाद उसने राय लेने के लिए यह मामला विभागीय विधि अधिकारी को सौंप दिया। यह मामला अलग-अलग अधिकारियों के पास अटका रहा, और उसके बाद 03.01.2024 को यह मामला स्थायी अधिवक्ता को सौंपा गया। अपील तैयार करने और उसका मसौदा बनाने के लिए अधिवक्ता महोदय ने और समय लिया। अपील 18.04.2024

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को दायर की गई थी, और जैसा कि रजिस्ट्री ने बताया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड- 19 की अवधि को घटाने के बाद भी इसमें 689 दिनों की स्पष्ट देरी हुई है।

20. यह स्पष्ट है कि विभाग को 10.08.2021 के आक्षेपित आदेश की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने देरी को सही ठहराने की कोशिश की है, लेकिन शपथ पत्र में दिए गए कारण किसी पर्याप्त कारण के बजाय बहाने ज़्यादा लगते हैं, जिन्होंने उन्हें समय पर अपील दायर करने से रोक रखा था।

21. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि देरी को उचित ठहराने का प्रयास अत्यंत कमज़ोर रहा है; शपथ पत्र में बताई गई देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, और तदनुसार, देरी की माफी के लिए प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

22. अतः, विलंब और ढिलाई के आधार पर अपील भी **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

26 मार्च, 2026

अनुपम एस/